15/2014

सरकार/विजेन्द्र कुमार

FSSA

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2016	पत्रावली पेश हुई। पुलिस उपायुक्त जोधपुर (पूर्व) के पत्र क्रमांकः पु0 उपा/जोध/पू0/अपशा/परि/2016/11806 दिनांक 04.08.2016 का अवलोकन किया गया। पत्र के अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना खाण्डाफलसा जोधपुर पूर्व द्वारा गैर सायल श्री विजेन्द्र कुमार आर्य पुत्र श्री प्रहलाद कुमार आर्य निवासी जीनगरों का मार्केट वार्ड नम्बर 23 जोधपुर पुलिस थाना खाण्डाफलसा की दौराने परिवाद जांच इस नाम का व्यक्ति, स्थान का सुराग नहीं लगा। इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के नाम दिनांक 18.12.2014 को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी किया गया तत्पश्चात् दिनांक 28.05.2014 को जरिये पुलिस थाना सिविल लाईन अजमेर नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के पूर्ण पते की जानकारी बाबत् दिनांक 23.07.2014 को खाद्य् सुरक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर अभियुक्त के संबंध में जानकारी चाही गई। इसके पश्चात दिनांक 24.09.2014, 29.09.14 व दिनांक 14.05.2014 को स्मरण पत्र जारी किए गये, किन्तु खाद्य् सुरक्षा अधिकारी अजमेर द्वारा भी सही पते की जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहने पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी से अभियुक्त के विरूद्व की गई कार्यवाही बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई अर्थात् न्यायालय द्वारा की गई तलबी हेतु हरसंभव प्रयास किया गया। अतः पुलिस उपायुक्त जोधपुर (पूर्व) की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में गैर सायल श्री विजेन्द्र कुमार आर्य को मफरूर घोषित किया जाकर खाद्य् सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश त्रिपाठी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर उनके विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावे एवं न्यायालय को अवगत कराया जावे। पत्रावली के रेकार्ड से स्पष्ट है कि श्री विजेन्द्र कुमार आर्य को बहुत ढूंढ़ने के प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाये है। पुलिस उपायुक्त जोधपुर द्वारा भी मफरूर घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली चलाये रखना औचित्य पूर्ण नहीं है। अतः पत्रावली ड्रॉप की जाती है। मिसल तकमील नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर	

Scanned by CamScanner